राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर ।

कमांक:एफ–5(48–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/12065-107 दिनांक:– 17/8/11

प्रधानाचार्य,
राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
..........समस्त..........।

संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा मण्डल/टी.
टी.सी. एवं एल.आर.डी.सी., जोधपुर।

विषय:– विभिन्न सेवाओं हेतु Job basis पर कार्य कराये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के समसंख्यक पत्र कमांक 9584–619 दिनांक 13.07.11 द्वारा वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के परिपत्र कमांक प.1(4)वित्त/नियम/2011 दिनांक 29.04.2011 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.06.2011 की फोटो प्रतियॉ संलग्न कर संविदा नियुक्तियों के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की गई है।

राज्य सरकार ने उक्त परिपत्र दिनांक 29.04.2011 द्वारा संविदा नियुक्तियों व व्यक्तिगत संविदा के आधार पर की जा रही नियुक्ति पर रोक लगाई है।

इस कम में वित्त विभाग के द्वारा जारी उक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 17.06.2011 के बिन्दु संख्या 4(ii) में स्पष्ट किया गया है कि कार्य सम्पादन हेतु कार्य का विस्तृत विवरण देते हुए सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से Job basis पर कार्य करवाया जा सकता हैं। किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत (Individual) अथवा सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से व्यक्तियों की सेवाऐं अनुबंधित नहीं की जा सकेगी।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृतियों के प्रावधानानुसार वित्त विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 17.06.2011 के बिन्दु संख्या 3 व 4(ii) की पालना करते हुए श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए Job basis पर कार्य करवाया जा सकता है तथा इस हेतु वित्तीय प्रावधानों की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लिया जावें।

भवदीय,

संलग्न :- अनुलग्न-पत्र का प्रारूप

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

कमांक:एफ–5(48–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/ दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्रों के संदर्भ में संविदा आधार पर सृजित रिक्त पदों के विरूद्ध उक्त कार्य व्यवस्था का अनुमोदन करावे। तद्नुसार उक्त व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना हो तो सूचित करने का श्रम करावे, ताकि निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा सके ।
2. मुख्य लेखाधिकारी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर ।
3. संयुक्त निदेशक (सी–3), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

अनुबन्ध–पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... माह .... सन् .... को प्रथम पक्ष राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे सरकार कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जायेगा, उसके पद के अधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जावेगा) तथा द्वितीय पक्ष मैसर्स .... (जिसे इसमें आगे अनुमोदित सेवा आपूर्तिकर्ता कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जायेगा, उसके उच्चाधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जायेगा) के मध्य सम्पन्न किया गया।

उक्त अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तो के आधार पर निष्पादित किया गया :–

1. यह कि प्रथम पक्ष अपने परिशिष्ट–1 पर अंकित कार्यालय .... (नाम / सूची कार्यालय परिशिष्ट संख्या 1 पर संलग्न) में परिशिष्ट–2 पर अंकित कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन हेतु ....(अवधि) हेतु द्वितीय पक्ष की सेवायें पूर्णतः ठेका पद्धति पर लेने के लिये सहमत है, जिसके लिये निर्धारित मापदण्डानुसार संतोषप्रद सेवा निष्पादन के सत्यापन के अधीन राशि रू. .... प्रति माह (फिक्स) भुगतान करने के लिये सहमत है।
2. यह कि ऊपर वर्णित मद संख्या 1 में अंकित कार्य हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्णतः ठेका पद्धति के आधार पर पक्षकार संख्या 1 को सेवायें उपलब्ध कराई जायेगी एवं कार्य की अवधि समाप्त होने या कार्य समाप्त होने पर उक्त सेवाओं का अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3. यह कि उक्तानुसार मासिक राशि का भुगतान "प्रथम पक्ष" द्वारा "अनुमोदित सेवा आपूर्तिकर्ता–द्वितीय पक्ष" को प्रत्येक अगले माह के द्वितीय सप्ताह तक किया जा सकेगा।
4. यह कि मासिक राशि की गणना माह में तीस दिन की अवधि मानकर की जायेगी तथा जितने दिन पक्षकार संख्या दो द्वारा कार्य नहीं किया जायेगा (सेवायें उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी) उतने दिन का भुगतान आनुपातिक रूप से काटा जायेगा।
5. यह कि अनुमोदित सेवा आपूर्तिकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा वांछित सेवाओं के लिये वैधानिक नियमों की पालना के अन्तर्गत, यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञा पत्र, प्रमाण–पत्र तकनीकी शैक्षणिक अर्हताओं (परिशिष्ट 3 के अनुसरण) को पूर्ति करने की बाध्यता द्वितीय पक्षकार की होगी। द्वितीय पक्षकार द्वारा इसमें किसी प्रकार कमी, अवहेलना, धोखाधड़ी करने पर पक्षकार संख्या 1 को अनुबन्ध निरस्त करने के साथ पक्षकार संख्या 2 के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा। फर्जी या अवैध प्रमाण–पत्र, अनुज्ञापत्र के आधार पर किये गये कार्य का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
6. यह कि पक्षकार संख्या 2 के द्वारा सप्ताह में सभी कार्यालय दिवसों में, कार्यालय की समयावधि व आवश्यकतानुसार सेवायें प्रदान करनी होगी, अन्यथा किसी प्रकार से भी सेवा प्रदान न करने या निर्धारित कार्यस्थल पर सेवा प्रदत्त न होने पर देय मासिक राशि से आनुपातिक कटौती की जावेगी।

7. यह कि पक्षकार संख्या 2 के द्वारा प्रदत्त सेवायें संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर पक्षकार संख्या 1 द्वारा पक्षकार संख्या 2 को सूचित किया जावेगा। यदि सेवा की गुणवत्ता में पक्षकार संख्या 2 द्वारा सुधार नहीं किया गया तो किये गये कार्य का कोई भुगतान देय नहीं होगा।

8. यह कि उक्त सेवा अनुबन्ध केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप है, अतः पक्षकार संख्या 2 द्वारा मासिक (फिक्स) राशि की बढ़ोतरी अथवा अन्य किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं की जायेगी एवं ना ही इस संबंध में कोई न्यायिक विवाद ही उत्पन्न किया जायेगा।

9. यह कि पक्षकार संख्या 2 द्वारा प्रदत्त सेवायें किसी भी शिफ्ट में अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित समय में ली जा सकेगीं।

10. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य के विहित कर्तव्यों (परिशिष्ट–2) की पूर्ण पालना करनी होगी। कर्तव्यों की सूची परिशिष्ट संख्या–2 में उल्लेखित हैं, जिनकी पालना नहीं किये जाने पर अथवा अवहेलना करने पर अनुबन्ध पत्र की अवहेलना मानी जायेगी।

11. पक्षकार संख्या 2 द्वारा उपलब्ध कराई गयी सेवाओं के संबंध में समस्त श्रम कानूनों की पालना व जहां आवश्यक हो, भुगतान सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पूर्णतः पक्षकार संख्या 2 का ही होगा। पक्षकार संख्या 1 इस दायित्व से विमुक्त रहेगा। इसमें विशिष्ट परिशिष्ट संख्या 4 पर संलग्नानुसार दायित्व शामिल होंगे।

12. पक्षकार संख्या 2 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के दौरान लापरवाही अथवा उदासीनता से यदि पक्षकार संख्या 1 अथवा अन्य संबंधित पक्षकार को कोई क्षति होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पक्षकार संख्या 2 का ही होगा।

13. प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद उत्पन्न होने पर विवाद का निस्तारण स्थानीय क्षेत्र की अदालत में ही होगा।

14. इस अनुबन्ध पत्र की अवधि अनुबन्ध पत्र निष्पादित होने की तिथि से .... माह की अवधि तक मानी जायेगी। उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार की सहमति से नया अनुबन्ध किया जावेगा।

15. आयकर अधिनियम के अनुसार आप द्वारा प्रस्तुत बिल से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जावेगी।

16. पक्षकार संख्या 1 इस अनुबन्ध को राज्य सरकार के नियमों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा तकनीकी शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के क्रम में अनुबन्ध अवधि में भी समाप्त करने में सक्षम होगा।

हस्ताक्षर व सील पक्षकार संख्या 1	हस्ताक्षर व सील पक्षकार संख्या 2

: : – अनुबन्ध पत्र – : :

परिशिष्ठ – 1

प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर ।

– राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, गाँधी नगर, जयपुर ।

: : – अनुबन्ध पत्र – : :

परिशिष्ठ – 2

कार्य के कर्तव्यों का विवरण

1. कम्प्यूटर पर समस्त अभिलेखों का संधारण ।
2. प्रथम पक्ष द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशो को कम्प्यूटर द्वारा तैयार करना ।
3. पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की कम्प्यूटीकृत केटेलॉगिंग एवं क्लासीफिकेशन ।
4. सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग के norms अनुसार संबंधित कार्य ।
5. प्रथम पक्ष के द्वारा निर्देशित अन्य समस्त संबंधित कार्य ।

: : – अनुबन्ध पत्र – : :

परिशिष्ठ – 2

कार्य के कर्तव्यों का विवरण

1. संबंधित प्रयोगशालाओं, उपकरणों एवं मशीनों की देखभाल एवं रखरखाव ।
2. संबंधित अभिलेखो का संधारण ।
3. मशीनों एवं उपकरणों की मरम्मत ।
4. छात्राओं को मशीन एवं उपकरणों का प्रायोगिक प्रशिक्षण ।
5. प्रथम पक्ष द्वारा निर्देशित अन्य संबंधित कार्य ।

: : – अनुबन्ध पत्र – : :

परिशिष्ठ – 3

वैधानिक – अनुज्ञापत्र योग्यता/अनुभव

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा या समकक्ष (सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी आवश्यक अर्हतोंऍ) ।
2. संबंधित कार्य अनुभव (वांछनीय) ।